राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 368 मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2019 रायपुर, दिनांक 12/7/2019

प्रति,

1. **कलेक्टर सह अध्यक्ष,**
   प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   जिला समस्त।

2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह**
   सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   जिला समस्त।

विषयः– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक O.A. No. 606/2018 में पारित आदेश।

विषयांतर्गत संदर्भित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक O.A. No. 606/2018 में पारित आदेश का अवलोकन करना चाहेंगे। आदेशानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

- अधिसूचित मॉडल ग्राम पंचायतों एवं इस वर्ष के कार्यान्वयन योजना में लक्षित 2703 ग्राम पंचायतों में पृथक्करण शेड निर्माण एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन 01 माह के भीतर किया जाये।
- घरों व सामुदायिक स्थलों से निकलने वाले कचरे का संग्रहण के पश्चात्, पृथक्करण शेड में पृथक्करण के बाद बचे हुए अक्रिय अपशिष्ट, जिसका पुनर्पयोग करना संभंव नहीं है, के निपटारे हेतु भू–भरण क्षेत्र (Landfill Site)/डम्पसाईट (Dump Site) का चिन्हांकन करें। यथासंभव नगरीय स्थानीय निकाय, (ULB) से समन्वय कर उनके द्वारा विकसित भू–भरण क्षेत्र (Landfill Site)/डम्पसाईट (Dump Site) का उपयोग भी अक्रिय अपशिष्ट के निपटारे हेतु किया जा सकता है।
- किसी भी प्रकार का औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, गंदा पानी और अन्य अपशिष्टों को जल निकाय में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया जाये।

Scanned by CamScanner

- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले Construstion & Demolition Waste का पृथक रूप से संग्रहण एवं परिवहन किया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों के थोक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटारे हेतु थोक अपशिष्ट उत्पादक को विकेन्द्रित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने हेतु आदेशित किया जाये।

चूंकि उक्त सभी कार्यवाही माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक O.A. No. 606/2018 में पारित आदेश के परिपालन में की जानी है। अतः उक्त समस्त कार्यवाही समय–सीमा में किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

12/7/2019

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्र.–369/मि.स./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2019 रायपुर, दिनांक 12/07/2019

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचानर्थ संप्रेषित।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर।
3. सदस्य सचिव, पर्यावरण सरंक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner